

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अधिकारी एवं उपस्थित अधिकारी
(संख्या (संख्या))

अधिकारी एवं उपस्थित अधिकारी
(संख्या (संख्या))

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

बनाम ... मोहनलाल कौं०
मुकदमा नं. 120 सन् 2019

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>वादीगण की ओर से कमीशन ऑफिस- समस्त चार्ज की वाद पत्र पेश किया। कवायफ वफिदर किया जाये। प्रतिवादीगण को यदि सामान लम्बे किया जाऊ पत्रावली आदि-आ दिनांक 26.8.19 को पेश हो।</p>	
<p>पत्रावली पेश हुई कमीशन वादीगण उपरो प्रतिवादीगण पेश हुए वादीगण आदी गये। आलोचित पत्रावली कट (लाल रंग की) तालिम जारी हो मिसल वाले लम्बी हुए दिनांक 5-9-19 को पेश हो।</p>	<p>35-33-37 27-8-19</p>
<p>5-9-19 पत्रावली पेश हुई। अनुपस्थित अधिकारी उप/अनुपस्थित अधिकारी अधिकारी को /अन्य कार्य में अन्तः पत्रावली अन्तः कार्यवाही हु मु दिनांक 24/11/19 को पेश हो।</p> <p>24/11/19 पत्रावली पेश हुई। अनुपस्थित अधिकारी अनुपस्थित अधिकारी अधिकारी को दौर पर/अन्य कार्य में अन्तः पत्रावली अन्तः पत्रावली पेश हुई। अनुपस्थित अधिकारी दिनांक 24/11/19 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म

8-11-19

पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रतिवादीगण की तरफ से आदीवत
 खुशाल नामी उपस्थित आये। प्रतिवादीगण आदीवत
 का आरोप रहा कि ख. नं. 1064 व 1073 में वे सहकार
 काक नहीं हैं। अतः वकासमाव स्थायी नहीं है। अतः
 वाद पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण
 वाद के तथ्यों पर गौर किया गया। प्रतिवादीगण
 सहकारिता नहीं है। अतः वाद में Cause of
 Action वरिसे नहीं होने के कारण वाद वादी
 इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा है।
 वादी आदीवत का हिसाबत दी गयी कि बिना
 Cause of Action के अनावश्यक वाद ~~का~~
 बयार ना करे।
 निर्णय आज दि. 9-11-19 को सुनले गया।
 सुनाया गया।

(Signature)
 8-11-19
 न्यायाधीश अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)